भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3072
दिनांक 08.08.2023/17 श्रावण,1945 (शक) को उत्तर के लिए

नशीले पदार्थों के प्रति बिल्कुल शिथिलता न बरतने की नीति

†3072. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में 1.44 लाख किलोग्राम से अधिक ड्रग, जिसका अनुमानित मूल्य 2,416 करोड़ रुपये से अधिक है, को नष्ट कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने नशीले पदार्थों के विरुध्द जीरो टॉलरेन्स बरतने की नीति अपनाई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार का उद्देश्य भारत को नशा मुक्त राष्ट्र बनाना है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार भारत को नशा मुक्त देश बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आने वाले दिनों में भी ड्रग को इसी प्रकार नष्ट करना जारी रखेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क), (ख), (ङ) और (च) : जब्त मादक पदार्थों को नष्ट करना एक सतत प्रक्रिया है । गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत एनसीबी ने, अन्य ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से, 01.06.2022 से जब्त मादक पदार्थों को नष्ट करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। उक्त अभियान में अब तक 10,17,523 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है, जिसमें दिनांक 17.07.2023 को नष्ट किये गए 1,40,969 किलोग्राम मादक पदार्थ भी शामिल है।

(ग) और (घ): भारत सरकार ने ''नशा मुक्त भारत'' के विजन को हासिल करने के लिए दो आयामी रणनीति अपनाई हैं: -

- मादक पदार्थों की आपूर्ति में कमी लाने से संबंधित पहल।
- मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने से संबंधित पहल।

(अ) सरकार द्वारा मादक पदार्थों की आपूर्ति में कमी लाने के संबंध में की गई कुछ पहल का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

(i) नार्को समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) - सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, स्वापक पदार्थों संबंधी कार्य देखने वाली केंद्र और राज्यों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच कार्यों के प्रभावी समन्वय के लिए वर्ष 2016 में एनसीओआरडी तंत्र की शुरुआत की है। इस तंत्र को वर्ष 2019 में 4 स्तरीय ढांचे में पुनर्गठित किया गया था:-

- शीर्ष समिति (केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में)
- कार्यकारी समिति (विशेष सचिव (आईएस), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में)
- राज्य स्तरीय समिति (संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में)
- जिला स्तरीय समिति (जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में)।

एनसीओआरडी तंत्र को और अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर नए सदस्यों को शामिल करके, इसे और अधिक मजबूत बनाया गया है।

(ii) बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की जब्ती वाले मामले में जांच की निगरानी करने के लिए गृह मंत्रालय के 19 जुलाई, 2019 के आदेश के माध्यम से एक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) का गठन किया गया, जिसमें केंद्रीय और राज्य एजेंसियां शामिल हैं।

(iii) डार्कनेट पर मादक पदार्थों से संबंधित संदिग्ध लेनदेन की मानीटरिंग करने के लिए डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी पर एक विशेष कार्य बल का गठन किया गया है।

(iv) सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी को रोकने के लिए विभिन्न सीमा रक्षक बलों जैसे कि बीएसएफ, एसएसबी और असम राइफल्स को 'स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985' के तहत मादक पदार्थों को पकड़ने का अधिकार दिया गया है।

(v) समुद्री मार्ग से मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए, भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) को 'स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम' के तहत समुद्र में मादक पदार्थों को पकड़ने का अधिकार दिया गया है।

(vi) चूंकि स्वापक औषधियों की अवैध तस्करी और इसका दुरुपयोग एक राष्ट्र-पारीय समस्या है, इसलिए भारत सरकार ने स्वापक औषधियों, मन: प्रभावी पदार्थों और रासायनिक उत्प्रेरकों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों, 16 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) और सुरक्षा सहयोग पर 02 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ब) मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए, सरकार द्वारा की गई कुछ पहलें निम्नानुसार हैं:-

(i) ''मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर)'' सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई) की एक अंब्रेला स्कीम है, जिसके तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है - निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजित करने, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, विगत में नशे के आदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और आजीविका सहायता, नशे के आदियों हेतु एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) चलाने और उनका रखरखाव करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने से संबंधित कार्यक्रमों, किशोरों में मादक पदार्थों के इस्तेमाल की शुरूआत में ही रोकथाम हेतु समुदाय आधारित पीयर लेड इंटरवेशन (सीपीएलआई), आउटरीच एवं ड्राप इन केंद्रों (ओडीआईसी) और सरकारी अस्पतालों में व्यसन उपचार सुविधाओं (एटीएफ) आदि।

(ii) 8000 से अधिक युवा स्वयंसेवकों को शामिल करते हुए एक वृहत सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम के साथ सर्वाधिक संवेदनशील 372 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) की शुरूआत।

(iii) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मादक पदार्थों का इस्तेमाल करने वालों को टेली-परामर्श प्रदान करने और उन्हें निकटतम नशामुक्ति केंद्र में भेजने के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन 14446 भी संचालित कर रहा है।

(iv) एनसीबी ने राजनीति, ब्यूरोक्रेसी, खेल, फिल्म, संगीत, आदि क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों के ऑडियो/वीडियो संदेशों के रूप में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से और साथ ही दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, एफएम रेडियो, टेलीविजन चैनलों आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान भी शुरू किए हैं।

*****